



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना का
अधिकार

क्र0/मा0चि0/
प्रति, 474

सिंगरौली, दिनांक.....17/02/22

उप वन मण्डल अधिकारी
उप वन मण्डल बैढ़न

विषय:- Forest Conservation Act, 1980 for diversion of 244.536 Ha. Fresh forest area in favour of M/s NCL for mining of coal in Nigahi Expansion Opencast Project in Singrauli District in the State of Madhya Pradesh.

संदर्भ:- महाप्रबंधक निगाही परियोजना नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड का पत्र क्रमांक/निगाही/जीएम/स्टा0अ0 (ख0)/पर्या0/21-22/1267 दिनांक 15.02.2022।

-000-

विषयांकित नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड निगाही परियोजना में माइनिंग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रस्तावित है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैढ़न अन्तर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 271, 272, 273 एवं 274 कुल रकवा 244.536 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

संदर्भित पत्र से एन.सी.एल. निगाही परियोजना द्वारा माइनिंग हेतु व्यपवर्तित वनभूमि रकवा 874.146 हे0, 424.517 हे0 एवं 244.536 हे0 की के.एम.एल. फाईल प्रस्तुत की गई है। उक्त के.एम.एल. फाईल का मौके पर मुनारों के साथ सत्यापन करें एवं सत्यापित कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(मधु डी. राज)

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

पू0क्र0/मा0चि0/
प्रतिलिपि:- 475

सिंगरौली दिनांक.....17/02/22

- वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- महाप्रबंधक निगाही परियोजना नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उप वन मण्डल अधिकारी बैढ़न से संपर्क स्थापित कर उक्त प्रस्तुत की गई के.एम.एल. फाईल का मौके पर मुनारों के साथ सत्यापन करावें एवं निम्नानुसार कमियों की पूर्ति करें:-

a. प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल में कक्ष क्रमांक आर.एफ. 271 पूर्व में व्यपवर्तित वनभूमि रकवा 424.517 हे0 एवं प्रस्तावित वनभूमि रकवा 244.536 हे0 में से रकवा 15 हे0 ओवरलैप हो रहा है। जबकि उक्त रकवा पूर्व में ही वनभूमि रकवा 424.517 हे0 के समय प्रदान किया जा चुका है।

b. प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल की बाउन्ड्री एवं गूगल अर्थ में दर्शित कोल ब्लॉक डिसप्लेस है।

c. रकवा 424.517 हे0 में से पार्ट-पार्ट में जितना रकवा आपको हस्तांतरित किया जा चुका उसकी के.एम.एल. फाईल भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उक्त के.एम.एल. फाईल का सत्यापन एवं जानकारी इस कार्यालय में जब तक प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक परिवेश पोर्टल पर प्राजेक्ट वापस न भेजें।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली